न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 484 सन 2019
अनवान :–

1. इन्द्रादेवी पुत्री श्री ओमप्रकाश जाति मेधवाल निवासी भरवाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. माडीदेवी पत्नी ओमप्रकाश जाति मेधवाल निवासी भरवाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
2. राजेन्द्र पुत्र ओमप्रकाश जाति मेधवाल निवासी भरवाना तहसील भादरा
3. दयाराम पुत्र ओमप्रकाश जाति मेधवाल निवासी भरवाना तहसील भादरा
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी
पैरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 25-8-20

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा चक 20 आरडब्ल्यूडी–ए के खाता संख्या 84/71 की कुल 1.0120हैक चक 20 आरडब्ल्यूडी के खाता संख्या 59/12 की कुल 0.506 , खाता संख्या 60/69–70 की कुल 1.2650हैक खाता संख्या 61/52 की कुल 1.5310हैक चक 20 आरडब्ल्यूडी बी के खाता संख्या 93/92 की कुल 2.6570हैक तथा खाता संख्या 94/93 की कुल 0.2530हैक, रोही मौज टोपरिया बारानी के खाता संख्या 259/234 की कुल 0.891हैक व खाता संख्या 260/233- की कुल 0.0.2560हैक में से 1/4 हिस्सा यानी 0.1265हैक व खाता संख्या 203/223 की कुल 2.4800हैक व रोही मोजा चक 20 आरडब्ल्यूडी बी के खाता संख्या 26/23 की कुल 1.0120हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी की माता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

उक्त भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के पूर्वजों की पैतृक सम्पति रोही मौजा भरवाना एवं अन्य ग्राम/खातों की भूमियों की आय एव सयुक्त परिवार की आय से वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से खरीद की गई थी जो सयुक्त परिवार की दादालाई पैतृक सम्पति की श्रेणी की भूमि है जो वर्तमान में वादी की माता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 एव वादी प्रतिवादी के पूर्वजों ने सयुक्त परिवार की आय एवं पैतृक सम्पति की आय से वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से करवाई गई थी सयुक्त परिवार की आय एवं पैतृक सम्पति की आय से वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम करवाई गई थी जो वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है वह पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 2 ,3 वादी के भाई है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्र है प्रतिवादी संख्या 1 वादी की माता है अर्थात वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 एक ही परिवार के सदस्य है जिन्होने भूमि काश्त की सुविधा के मध्यनजर आपसी सहमति से बाहमी बटवारा कर लिया बाहमी बटवारा में रोही मौजा भरवाना की भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के हिस्से में आई ओर वाद भूमि वादीया के हिस्से में आई इसलिये वाद भूमि में जो भी हक हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का था वह वादीया के पक्ष में त्याग किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादीया अकेले के हक हिस्सा की भूमि है जिस राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने की अधिकारी है।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

वादीया के हक हिस्सा की भूमि वादीया के नाम से वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही होने से वादी के खातेदार अधिकारों का हनन होता है वादी अपने हक हिस्सा की भूमि अपने नाम से दर्ज करवाने का अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी की माता है के नाम से दर्ज भूमि की वादीया खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 स्वय न्यायालय में उपस्थित आकर वादीया के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पूर्वजा ने सयुक्त परिवार की आय एवं रोही मौजा भरवाना की पैतृक सम्पति व अन्य पैतृक सम्पति की आय से वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 की माता है के नाम से करवाई गई थी वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज भूमि सयुक्त परिवार की सम्पति है अर्थात पैतृक सयुक्त परिवार की सम्पति है जिसमें परिवार के सभी सदस्यों अर्थात वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 का प्रतिवादी संख्या 1 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 जो वादी के भाई एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है ने निवेदन किया की उन्होने भूमि काश्त की सुविधा के मध्यनजर रोही मौजा भरवाना एवं अन्य चकों व वाद भूमि का आपसी सहमति से बाहमी बटवारा कर लिया जिसमें वाद भूमि वादीया के हिस्से में आई है व रोही मौजा भरवाना की भूमि प्रतिवादीगण के हिस्से में आई थी इसलिये प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने वाद भूमि में अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग अपने भाईयो /पिता के पक्ष में किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादीया के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है एवं अपने कथनों के समर्थन में जरिये अधिवक्ता इकबाल जबाब भी पेश किया जा चुका है जो शामिल मिसल किया गया है।एवं प्रतिवादी संख्या 4 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 20 आरडब्ल्यूडी-ए के खाता संख्या 84/71 की कुल 1.0120हैक्ट चक 20 आरडब्ल्यूडी के खाता संख्या 59/12 की कुल 0.506 , खाता संख्या 60/69-70 की कुल 1.2650हैक्ट खाता संख्या 61/52 की कुल 1.5310हैक्ट चक 20 आरडब्ल्यूडी बी के खाता संख्या 93/92 की कुल 2.6570हैक्ट तथा खाता संख्या 94/93 की कुल 0.2530हैक्ट, रोही मौज टोपरिया बारानी के खाता संख्या 259/234 की कुल 0.891हैक्ट व खाता संख्या 260/233 की कुल 0.0.2560हैक्ट में से 1/4 हिस्सा यानी 0.1265हैक्ट व खाता संख्या 203/223 की कुल 2.4800हैक्ट व रोही मोजा चक 20 आरडब्ल्यूडी बी के खाता संख्या 26/23 की कुल 1.0120हैक्ट भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी की माता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

उक्त भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के पूर्वजों की पैतृक सम्पति रोही मौजा भरवाना एवं अन्य ग्राम/खातों की भूमियों की आय एवं सयुक्त परिवार की आय से वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से खरीद की गई थी जो सयुक्त परिवार की दादालाई पैतृक सम्पति की श्रेणी की भूमि है जो वर्तमान में वादी की माता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 एव वादी प्रतिवादी के पूर्वजों ने सयुक्त परिवार की आय एवं पैतृक सम्पति की आय से वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से करवाई गई थी सयुक्त परिवार की आय एवं पैतृक सम्पति की आय से वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम करवाई गई थी जो वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है वह पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 2 ,3 वादी के भाई है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्र है प्रतिवादी संख्या 1 वादी की माता है अर्थात वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 एक ही परिवार के सदस्य है जिन्होने भूमि काश्त की सुविधा के मध्यनजर आपसी सहमति से बाहमी बटवारा कर लिया बाहमी बटवारा में रोही मौजा भरवाना की भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के हिस्से में आई ओर वाद भूमि वादीया के हिस्से में आई इसलिये वाद भूमि में जो भी हक हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का था वह वादीया के पक्ष में त्याग किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादीया अकेले के हक हिस्सा की भूमि है जिस राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने की अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है तथा न्यायाचिक दृष्टान्त आर.आर.डी 1998 पेज 646 एवं आरआरसी 2001 पेज 459 के अनुसार कोई भी खातेदार अपनी स्वेच्छा से आपसी सहमति पक्षकारो के मध्य राजीनामा के द्वारा भी हस्तान्तरित करने में सक्षम है इसप्रकार न्यायायिक दृष्टान्त भी प्रकरण में पूर्णत्या चस्पा होते है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फ़रमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 20 आरडब्ल्यूडी–ए–के खाता संख्या 84/71 की कुल 1.0120हैक चक 20 आरडब्ल्यूडी के खाता संख्या 59/12 की कुल 0.506 , खाता संख्या 60/69–70 की कुल 1.2650हैक खाता संख्या 61/52 की कुल 1.5310हैक चक 20 आरडब्ल्यूडी बी के खाता संख्या 93/92 की कुल 2.6570हैक तथा खाता संख्या 94/93 की कुल 0.2530हैक, रोही मौज टोपरिया बारानी के खाता संख्या 259/234 की कुल 0.891हैक व खाता संख्या 260/233 की कुल 0.0.2560हैक में से 1/4 हिस्सा यानी 0.1265हैक व खाता संख्या 203/223 की कुल 2.4800हैक व रोही मोजा चक 20 आरडब्ल्यूडी बी के खाता संख्या 26/23 की कुल 1.0120हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी की माता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

वादी का कथन है कि वाद भूमि वादी के पूर्वजों ने सयुक्त परिवार की आय एवं रोही मौजा भरवाना की पैतृक भूमि व अन्य पैतृक सम्पति की आय से वाद भूमि वादी की माता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से करवाई गई थी जो पैतृक सम्पति है जिसमें परिवार के सभी सदस्यों का हक हिस्सा है तथा बाहमी बटवारा में वाद भूमि वादीया के हक हिस्सा की भूमि है वादीया के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की उसके नाम से वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमि सयुक्त परिवार की आय से अर्जित की गई सम्पति है जिसमें परिवार के सभी सदस्यों का बराबर का हक हिस्सा है अर्थात वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के हक हिस्सा की भूमि है प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 जो वादी के भाई एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है ने निवेदन किया की उन्होने भूमि काश्त की सुविधा के मध्यनजर रोही मौजा भरवाना एवं अन्य चकों व वाद भूमि का आपसी सहमति से बाहमी बटवारा कर लिया जिसमें वाद भूमि वादीया के हिस्से में आई है व रोही मौजा भरवाना की

Scanned with CamScanner

भूमि प्रतिवादीगण के हिस्से में आई थी इसलिये प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने वाद भूमि में अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग अपने भाईयो /पिता के पक्ष में किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादीया के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के सामर्थन में ईकबाल भी पेश किया जा चुका है जो तस्दीक किया जाकर शमिल मिसल किया जा चुका है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है की सयुक्त परिवार की आय एव पैतृक सम्पति की आय से खरीद/अर्जित की गई सम्पति भी पैतृक सम्पति की श्रेणी में होगी पैतृक सम्पति होने के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प डयूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 20 आरडब्ल्यूडी–ए के खाता संख्या 84/71 की कुल 1.0120हैक्ट चक 20 आरडब्ल्यूडी ए के खाता संख्या 59/12 की कुल 0.506 , खाता संख्या 60/69–70 की कुल 1.2650हैक्ट खाता संख्या 61/52 की कुल 1.5310हैक्ट चक 20 आरडब्ल्यूडी बी के खाता संख्या 93/92 की कुल 2.6570हैक्ट तथा खाता संख्या 94/93 की कुल 0.2530हैक्ट रोही मौज टोपरिया बारानी के खाता संख्या 259/234 की कुल 0.891हैक्ट जो बरूऐ इन्तकाल संख्या 1014 के अनुसार व खाता संख्या 260/233 की कुल 0..5060हैक्ट में से 1/4 हिस्सा यानी 0.1265हैक्ट व खाता संख्या 203/223 की कुल 2.4800हैक्ट व रोही मोजा चक 20 आरडब्ल्यूडी बी के खाता संख्या 26/23 की कुल 1.0120हैक्ट भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादीया को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 25.8.20 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

सत्यमेव जयते

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. इन्द्रादेवी पुत्री श्री ओमप्रकाश जाति मेधवाल निवासी भरवाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 माडीदेवी पत्नी ओमप्रकाश जाति मेधवाल निवासी भरवाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
2. राजेन्द्र पुत्र ओमप्रकाश जाति मेधवाल निवासी भरवाना तहसील भादरा
3. दयाराम पुत्र ओमप्रकाश जाति मेधवाल निवासी भरवाना तहसील भादरा
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 484 सन 2019 निर्णय दिनांक– 25-8-20

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपरिथति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 20 आरडब्ल्यूडी–ए के खाता संख्या 84/71 की कुल 1.0120हैक चक 20 आरडब्ल्यूडी ए के खाता संख्या 59/12 की कुल 0.506 खाता संख्या 60/69–70 की कुल 1.2650हैक खाता संख्या 61/52 की कुल 1.5310हैक चक 20 आरडब्ल्यूडी बी के खाता संख्या 93/92 की कुल 2.6570हैक तथा खाता संख्या 94/93 की कुल 0.2530हैक, रोही मौज टोपरिया बारानी के खाता संख्या 259/234 की कुल 0.891हैक जो बरूऐ इन्तकाल संख्या 1014 के अनुसार व खाता संख्या 260/233 की कुल 0..5060हैक मे से 1/4 हिस्सा यानी 0.1265हैक व खाता संख्या 203/223 की कुल 2.4800हैक व रोही मोजा चक 20 आरडब्ल्यूडी बी के खाता संख्या 26/23 की कुल 1.0120हैक भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादीया को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 25·8·20 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner